अति अल्पकालीन

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, बांका

(आम सूचना)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बाँका अनुमंडल अन्तर्गत निम्नांकित अप्रैल श्रेणी श्रावणी मेला के सैरातों की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए सैरात के सामने अंकित पदाधिकारी के कार्यालय वेश्म में दिनांक–. 02.07.2019 को 03:00 बजे अपराह्न में किया जाएगा। उक्त तिथि को डाक नहीं होने पर दिनांक–04.07.2019 को निर्धारित स्थल एवं समय पर सैरात की बन्दोबस्ती की जाएगी। यदि उक्त तिथि को भी डाक नहीं हो पायी तो दिनांक–06.07.2019 को निर्धारित स्थल एवं समय पर सैरात की बन्दोबस्ती जाएगी :–

क्र0 सं0	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि	अंचल का नाम	सैरात बन्दोबस्ती हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी
1	2	3	4	5	
1	श्रावणी मेला चंपातरी	89815	8982	बेलहर	अनुमंडल पदाधिकारी, बांका
2	श्रावणी मेला चंदननगर	20798	2080	बेलहर	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बांका

डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को निम्नांकित शर्त्तो का पालन करना होगा :–

1. डाकवक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में संबंधित नजारत में जमा करना होगा। डाक की समाप्ति पर असफल डाकवक्ता को उसके द्वारा जमा की गयी जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी।
2. डाकवक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र, आवास प्रमाण–पत्र एवं सैरात का बकाया रहित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
3. उच्चतम डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती की जायेगी।
4. उच्चतम डाकवक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एवं सरकार द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन शुल्क की राशि डाक समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त करते हुए द्वितीय डाकवक्ता को राशि जमा करने का आदेश दे दिया जायेगा।
5. उच्चतम डाकवक्ता को बन्दोवस्ती के पश्चात् एकरारनामा का निबंधन करना होगा अन्यथा परवाना निर्गत नहीं किया जायेगा।
6. डाकवक्ता या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। साथ ही उनके निकट भाई–भतीजा को भी डाक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा। वर्त्तमान में जितनी जमीन है, जैसी है, उसी स्थिति के लिए डाक की जायेगी और ग्राउण्ड रेट की वसूली उतनी जगह के अन्दर ही की जायेगी।
7. मेला की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा साफ–सफाई एवं पानी की व्यवस्था करना लेसी की जिम्मेवारी होगी। मेला में किसी राजनीतिक सभा नहीं की जायेगी। मेला में किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा, इसे सुनिश्चित करना बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी। बट्टी वसूली छपाई रसीद पर की जायेगी। किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा मेला में अस्थायी/स्थायी कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं किया जायेगा। इसकी जवाबदेही लेसी की होगी।
8. स्थानीय निबंधन सहयोग समिति ग्राम पंचायत यदि सुरक्षित जमा पर बन्दोवस्ती लेना चाहें तो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिए उन्हें सक्षम पदाधिकारी के अनुशंसा एवं संबंधित पदाधिकारी से बकाया नहीं रहने संबंधी प्रमाण–पत्र के साथ डाक में भाग लेना होगा।
9. संक्रामक रोग या महामारी की स्थिति में मेला के बन्दोबस्तधारी की यह विशेष जवाबदेही होगी कि वे मेला में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद–बिक्री नहीं होने दें। साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेंगे। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्त्ति देय नहीं होगा।
10. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बन्दोवस्ती रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय राजस्व शाखा में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय सूचना पट्ट पर एवं जिला के वेबसाईट **http:\\banka.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

15/6

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बाँका

13/06

अनुमंडल पदाधिकारी
बाँका